फैक्स/सर्वोच्च प्राथमिकता

डीजी परिपत्र संख्या - 51 /2015

जगमोहन यादव
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर-प्रदेश
1 तिलकमार्ग, लखनऊ।

दिनांकःलखनऊः जुलाई 12 ,2015

विषय : विवेचनाओं में गतिशीलता, गुणवत्ता व समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में ।

प्रायः यह देखा जा रहा है कि क्षेत्राधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक स्तर पर विवेचनाओं के पर्यवेक्षण में अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण विवेचकों द्वारा विवेचना के निस्तारण एंव प्रगति में लापरवाही व शिथिलता की जा रही है। हाल में अनेक ऐसे प्रकरण क्रि0रिट पिटीशन नं0: 9420/2015 मोहर सिंह बनाम यू0पी0 सरकार व अन्य के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष लाये गये जिनमें मान0 उच्च न्यायालय द्वारा घोर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है।

विवेचना में गतिशीलता लाने एंव समयबद्व निस्तारण सुनिश्चित किये जाने के उददेश्य से जनपद स्तर पर राजपत्रित अधिकारियों द्वारा नियमित आदेश कक्ष किये जाने की व्यवस्था है, किन्तु यह संज्ञान में आया है कि राजपत्रित अधिकारियों द्वारा नियत रूप से आदेश कक्ष नहीं किये जा रहे हैं जिसके कारण विवेचक द्वारा विवेचनाओं में मनमानी , लापरवाही व शिथिलता की जा रही है।

विवेचनाओं में गतिशीलता, गुणवत्ता व समयबद्व निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये जाते हैं :-

1- थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक अपने स्तर से 45 दिवस से अधिक समय से लम्बित विवेचनाओं की समीक्षा करेगें और उनके लम्बित रहने के कारण को दर्शाते हुए प्रत्येक सप्ताह आख्या सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी को प्रेषित करेगें तथा क्षेत्राधिकारी अपने आदेश कक्ष में ऐसी सभी विवेचनाओं की गम्भीरता से समीक्षा करेगें।

2- क्षेत्राधिकारी अपने क्षेत्र के थानों का माह में कम से कम 02 आदेश कक्ष करेगें एंव उनके समयबद्व एंव गुणवत्तापरक निस्तारण हेतु गंभीर प्रयास सुनिश्चित करेगें तथा प्रत्येक माह 03 माह से

अधिक समय से लम्बित विवेचनाओं की सूची लम्बित रहने के कारणों को दर्शाते हुए अपर पुलिस अधीक्षक को प्रेषित करेंगें।

3- अपर पुलिस अधीक्षक अपने क्षेत्र में प्रत्येक माह आदेश कक्ष करेगें । आदेश कक्ष के दौरान 03 माह से अधिक समय से लम्बित ऐसी समस्त विवेचनाओं की समीक्षा करेगें कि किन कारणों से विवेचना लम्बित रही एंव उनके समयबद्व एंव गुणवत्तापरक निस्तारण हेतु गंभीर प्रयास सुनिश्चित करेगें।

4- अपर पुलिस अधीक्षक अपने क्षेत्र में 06 माह से अधिक लम्बित ऐसी समस्त विवेचनाओं की सूची लम्बित रहने के कारण के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को प्रेषित करेगें ।

5- 06 माह से अधिक समय से लम्बित विवेचनाओं के सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक माह में कम से कम 01 बार आदेश कक्ष कर विवेचना लम्बित रहने के कारणों की गहराई से समीक्षा करेगें। अनावश्यक रूप से लम्बित विवेचनाओं के सम्बन्ध में दोषी विवेचकों के विरूद्व कार्यवाही भी करेगें एंव उनके समयबद्व एंव गुणवत्तापरक निस्तारण हेतु गंभीर प्रयास सुनिश्चित करेगें।

6- 06 माह से अधिक समय से लम्बित समस्त विवेचनाओं की सूची वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक को प्रेषित की जायेगी । परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक प्रत्येक ऐसी विवेचना की गहराई से समीक्षा करेगें एंव ऐसी समस्त विवेचनाओं की प्रगति की साप्ताहिक आख्या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक से प्राप्त करेगें ।

7- क्षेत्राधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक एंव वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, आदेश कक्ष के दौरान अकारण लम्बित पायी गयी विवेचनाओं के सम्बन्ध में लापरवाह विवेचकों के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही भी करेगें।

8- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक एंव जोनल पुलिस महानिरीक्षक अपने स्तर से यह सुनिश्चित करायेंगें कि निर्देशों का अनुपालन शत-प्रतिशत हो। अपने भ्रमण के दौरान इस परिपत्र के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा करेगें और यदि समीक्षोपरान्त यह संज्ञान में आता है कि किसी स्तर से परिपत्र के अनुपालन में लापरवाही, शिथिलता बरती जा रही है तो इस मुख्यालय को अवगत करायेगें जिससे दोषी अधिकारियों के विरूद्व कार्यवाही की जा सके ।

मैं आप से अपेक्षा करता हूँ कि परिपत्र का भली-भाँति अध्ययन करके गोष्टी के माध्यम से समस्त अधीनस्थों को अवगत कराते हुए व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करेंगें कि विवेचना में गतिशीलता, गुणवत्ता व समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किये जाने में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाये।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

भवदीय

(जगमोहन यादव) 12/7/15

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद, उ0प्र0

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. पुलिस महानिदेशक, सी0बी0सी0आई0डी0, उ0प्र0 लखनऊ।
2. पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उ0प्र0 लखनऊ।
3. पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0 लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
5. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
6. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।